

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली
1997 के अनुक्रम में

मूल्यांकन सूची

तहसील-सरोजनीनगर (प्रथम), जनपद-लखनऊ

प्रभावी दिनांक :- 01-08-2025



कार्यालय अवस्थिति



जनपद लखनऊ एक दृष्टि में

विशाख जी०
जिलाधिकारी, लखनऊ

जनपद- लखनऊ



कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ

संख्या ७५१/स्टाम्प लिपिक-

दिनांक- 01.08.2025

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 व उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2015 के नियम 4 के अधीन जनपद लखनऊ में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक 01.08.2025 से प्रभावी की जाती है। इस मूल्यांकन सूची के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए:

सामान्य निर्देश

1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इस सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कॉलम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्टाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।

2 विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।

3.क- कृषक भूमि के अन्तरण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किसान बही के सुसंगत अंश की प्रति व प्रपत्र 11 तथा शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख- कृषक/अकृषक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के साथ सम्पत्ति का जिओं टैग मैप के साथ फोटोग्राफ (अंक्षाश/देशान्तर) संलग्न करना अनिवार्य है।


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

- 4.क- जिस अकृषक सम्पत्ति के सामने (अभिमुख/पार्क फेसिंग) पार्क हो तो भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस अकृषक सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो तो ऐसी सम्पत्ति के भूखण्ड हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों (पार्क व दो मार्ग) परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसे भूखण्ड के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी।

ख- अकृषक भूखण्ड व भवन जिसकी चौहद्दी में यदि कोई व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि विद्यमान है तो ऐसे भूखण्ड/भवन के मूल्यांकन की गणना भूखण्ड हेतु निर्धारित सुसंगत दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर किया जायेगा।

5. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर पहुंचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, डाक का पूरा पता तथा क्रेता-विक्रेता व गवाह का फोन नम्बर व पहचान पत्र संख्या तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। महिला पक्षकार सुविधानुसार अपने पति/पिता/भाई का मोबाइल नम्बर अंकित करने हेतु अनुमन्य होगी। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति को पूर्व में कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. बेसमेन्ट का तात्पर्य ऐसे तल से होगा जो पूर्णतः भूमि के अन्दर स्थित हो। यदि कोई तल आधा भूमि के अन्दर तथा उसका कुछ भाग भूमि के ऊपर हो तो उसकी गणना भूतल के रूप में की जायेगी।


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

7. (क) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्रारूप 5 (ख) में वर्णित 3 मंजिल से अधिक मंजिल वाले मल्टी स्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निर्माण दरों एवं भूमि के अनुपातिक मूल्य को जोड़ कर किया जायेगा। फ्लैट में निहित आनुपातिक भूमि का क्षेत्रफल, उसके आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(ख) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्रारूप-5 ख में वर्णित गैर वाणिज्यिक भवनों में-

(I)-चौथी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक के मल्टी स्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में 05 प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया जायेगा।

(II)-सातवीं मंजिल एवं उससे ऊपर की मंजिलों के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया जायेगा।

(III)-मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के पेन्ट हाउस के विक्रय विलेखों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(IV)-मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के परिसर का निकास, यदि मुख्य मार्ग अथवा उसकी सर्विस लेन पर होता है तो समस्त यूनिटों/ब्लाक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जायेगा।

(V)-मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के परिसर यदि दो या दो से अधिक मार्गों पर स्थित है तो उसके अनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से आगणित करते हुये 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करके मूल्यांकन किया जायेगा।

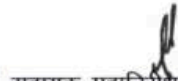
(VI)-मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के फ्लैट के अतिरिक्त किसी कवर्ड पार्किंग के विक्रय होने की दशा में उसके कवर्ड क्षेत्रफल का मूल्यांकन तीन मंजिल तक गैर वाणिज्यिक भवनों के आर०सी०सी० निर्माण हेतु निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा।



उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम



उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ



जिलाधिकारी
लखनऊ

8. यदि कोई राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ला, इस दर सूची में अंकित होने अथवा उसकी दर निर्धारित किये जाने से छूट गया है, तो उस राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ले के निकटतम राजस्व ग्राम/मोहल्ले की दरे प्रभावी होगी।
9. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभावी है, तो उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभावी होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।
10. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल तक के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50-50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33.3 (1/3) प्रतिशत होगा। इस प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तरण विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अकृषक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार से की जायेगी—
- (क) भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से
- (ख) प्रथमतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से
- (ग) द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से
- (घ) तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से
- उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अकृषक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम की छत हेतु 1/7 आदि।
11. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्रय की दर 80 रु० प्रति घनमीटर निर्धारित की जाती है। संचालित/स्थापित ईट भट्टे के विक्रय की स्थिति में प्रति चिमनी का मूल्य 60 लाख होगा।



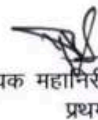
उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम



उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ



जिलाधिकारी
लखनऊ

(5)

12. (अ) जनपद लखनऊ में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों में स्थित कृषक भूमि के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी—

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.100 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0.100 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.1500 हेक्टेयर तक	0.100 हेक्टेयर तक श्रेणी एक के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य व 0.100 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 0.1500 हेक्टेयर तक इस सूची के भाग दो में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 70 प्रतिशत के मूल्य के योग पर।
3	0.1500 हेक्टेयर से अधिक होने पर	0.1500 हेक्टेयर तक उपरोक्त श्रेणी-1 व 2 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि हेतु दर सूची में उक्त स्थान हेतु निर्धारित कृषि भूमि की दर से निकाले गये मूल्य का योग

- (ब) जनपद लखनऊ में अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम में स्थित कृषिक भूमि जो पक्की सड़क/आर0सी0सी0/खडंजा अथवा आबादी/इमारत/आवासीय गतिविधि से सटी हो, के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी—

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.050 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0.050 हेक्टेयर से अधिक होने पर	0.050 हेक्टेयर तक उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि हेतु दर सूची में उक्त स्थान हेतु निर्धारित कृषि भूमि की दर से निकाले गये मूल्य का योग


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

13. इस निर्देश की क्रम संख्या 12अ श्रेणी 1 व 2 तथा 12ब की श्रेणी 1 में निर्दिष्ट भूमि सीमा के उपरान्त अवशेष कृषक भूमि यदि सड़क एवं आबादी दोनों से सटी है, तो तदस्थान हेतु निर्धारित सड़क की दर में 40 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा तथा कृषि भूमि यदि आबादी से सटे गाटा संख्या से 50 मीटर से दूर परन्तु 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है तो तदस्थान (सामान्य अथवा सड़क) कृषि दर में 30 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। आबादी से सटी भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जिसकी 50 मीटर की त्रिज्या में आबादी/इमारत/आवासीय गतिविधियां विद्यमान हो।
14. नगरीय क्षेत्र व अर्द्धनगरीय क्षेत्र में सूचीबद्ध ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों में यदि कोई गाटा संख्या आबादी से सटे गाटा संख्या से 50 मीटर से दूर परन्तु 200 मीटर की परिधि के अन्दर स्थित है तो तदस्थान (सामान्य अथवा सड़क) हेतु प्रचलित कृषि दर में 30 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। यदि कोई गाटा संख्या किसी सड़क पर स्थित है और उसके 50 मीटर की परिधि में आबादी स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस गाटे का मूल्यांकन उस सड़क हेतु निर्धारित कृषि दर में 40 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करते हुए किया जायेगा।
15. अन्तर्गत सम्पत्ति में बोरवेल या कुआँ, नल/हैण्ड पम्प आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा। बोरवेल/सबमर्सिबल का मूल्य 30000/- रु० प्रति बोरवेल/सबमर्सिबल होगा तथा कुआँ का मूल्य प्रति कुआँ 10000/- रु० तथा नल/हैण्ड पम्प का मूल्य प्रति नल 5000/- रु० होगा।


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

औद्योगिक भूमि एवं भवन का मूल्यांकन निम्नवत किया जायेगा

16. (क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) या सरकारी निगमों या सरकारी विभागों के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ विकसित भूखण्डों की दरें—

1—अमौसी औद्योगिक क्षेत्र	—	4,500 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
2—गहरू औद्योगिक क्षेत्र	—	5,000 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
3—हरचन्दपुर गढ़ीकनौरा / गढ़ीकनौरा / तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र	—	6,000 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
4—चिनहट औद्योगिक क्षेत्र	—	6,000 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
5—धावां औद्योगिक क्षेत्र	—	5,000 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
6—डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरीडोर भटगांव	—	1,700 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर
7—सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र	—	4,500 /—रु० प्रतिवर्ग मीटर

(ख) उपरोक्त "क" के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित सीमेन्ट फैक्टरी, राइस मिल, आटा मिल, शुगर मिल, कोल्ड स्टोरेज/भट्टा /वेयर हाऊस व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित अकृषक भूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुये किया जायेगा।

(ग) नगर निगम सीमा से बाहर 1000 वर्गमीटर तक के स्थापित सीमेन्ट फैक्टरी, राइस मिल, आटा मिल, शुगर मिल, कोल्ड स्टोरेज/भट्टे व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित अकृषक भूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुये किया जायेगा।

(घ) नगर निगम सीमा के बाहर 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन उस स्थान हेतु निर्धारित अकृषक भूमि की दर में 40 प्रतिशत की कमी करते हुए किया जायेगा।


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

(ड़) औद्योगिक निर्माण की दरे निम्नवत होंगी—

(I) आर0सी0सी निर्माण हेतु	—	रूपये 12,000 प्रतिवर्गमीटर
(II) आर0बी0सी0 निर्माण हेतु	—	रूपये 10,000 प्रतिवर्गमीटर
(III) टिन शेड/एस्बेस्टस	—	रूपये 6,000 प्रतिवर्गमीटर
(IV) खपरैल	—	रूपये 2,000 प्रतिवर्गमीटर

(च) स्थापित औद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैल्यूअर से प्राप्त आख्या के आधार पर किया जायेगा। आख्या में वैल्यूअर की पंजीकरण संख्या, पत्र व्यवहार का पता तथा मोबाईल नम्बर स्पष्ट अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

17. इस मूल्यांकन सूची में निर्धारित अकृषक भूखण्डों (एक यूनिट) की दर 1000 वर्गमीटर तक लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में 1000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित भूखण्डों की दर 30 प्रतिशत कम करके लागू होगी।
18. यदि कोई सम्पत्ति प्रारूप तीन में परिभाषित सेगमेंट रोड या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्विस लेन पर स्थित है तो उसकी अवस्थिति सेगमेंट रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाय होगी। जिस मोहल्ले/राजस्व ग्राम की सम्पत्ति प्रारूप तीन में वर्णित चिन्हित सड़कों पर स्थित है, उसका मूल्यांकन उस रोड सेगमेंट हेतु निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा।
19. ऐसे फ्लैट जिनके परिसर में स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, सेगमेंट रोड में से कोई दो सुविधाये मौजूद है, तो इनकी गणना प्रीमियम फ्लैट्स की श्रेणी के रूप में की जायेगी और इसी अनुरूप निर्धारित निर्माण की दर प्रभाय होगी। उपरोक्त सुविधाओं से रहित सभी फ्लैट साधारण श्रेणी में समझे जायेंगे।
20. यदि कोई गैर वाणिज्यिक बहुमंजिला इमारत सम्पूर्ण रूप से अन्तरित होती है, तो उसका बाजार मूल्य भूमि एवं आच्छादित क्षेत्रफल के मूल्य के योग के आधार पर आगणित किया जायेगा।


उप निबन्धक सदर
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

(9)

21. अन्तरित सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष व्यास के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत होगा—

क्रम सं.	वृक्षों की प्रजाति	विभिन्न से0मी0 व्यास के वृक्षों की अनुसूचित दरें रुपये में							
		व्यास 0—10	व्यास 10—20	व्यास 20—30	व्यास 30—40	व्यास 40—50	व्यास 50—60	व्यास 60—70	व्यास 70 से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	साल	130	440	1600	5700	11000	19000	27500	41000
2	सागौन	150	500	1900	7200	14400	14900	37800	55800
3	शीशम	120	450	1500	4800	8700	16000	24000	31500
4	पापुलर	100	250	700	1500	1800	2700	3600	5400
5	खैर	250	650	1950	6550	13500	20800	32500	40000
6	जामुन, सिरस	100	210	800	2100	3460	6580	8050	12000
7	असना	100	250	900	3100	6600	11500	17100	28000
8	आम, महुआ, नीम, तुन, बहेड़ा, धिलबिल, हर्रा, इमली	200	2000	3000	4000	6000	8000	10000	15000
9	कुकाट, जंगल जलेबी, कंजी, बरगद, गूलर, पीपल, बेल, अर्जुन अकेसियास्यामियाआदि	100	150	500	1100	2000	3500	4500	6000
10	प्रोसोपिस, बैरसुबबूल	100	150	300	700	1600	2700	3800	5000
11	(कोमल प्रकाष्ठ) कंजू, मलधरी, गुटेल, झींगन, खरपत, पूलम, बाकलीबौरंग, छावड़ी, पूला, सेमल, हल्दू (हरा)	100	200	1500	2500	4500	6500	8500	13000
12	यूकेलिप्टस	50	100	300	600	1000	2000	3000	5000
13	बांस	20	50	70	100	—	—	—	—


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

वाणिज्यिक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

1. एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान जिसमें निर्माण के साथ-साथ भूमि का अन्तरण किया जा रहा हो, की स्थिति में भूमि का मूल्यांकन निर्धारित अकृषक दर में पचास प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्माण के मूल्य के योग से किया जायेगा।
2. एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान की निर्माण दर निम्न रूप से रु० प्रति वर्गमी० निर्धारित किया जाता है।

दुकान की दर	कार्यालय की दर	गोदाम व अन्य की दर
22000	18000	14000

3. एकल से भिन्न वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों का मूल्यांकन फर्श क्षेत्र (कार्पेट एरिया) हेतु निर्धारित न्यूनतम दर रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर किया जायेगा।
4. एकल व एकल से भिन्न वातानुकूलित दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों, शॉपिंग कान्पलेक्स/मॉल/मल्टीप्लेक्स में स्थित दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों के सम्पूर्ण मूल्यांकन में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर आगणन किया जायेगा।
5. एकल से भिन्न दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों की जो दरें इस सूची में निर्धारित की गई हैं वे सभी दरें भूतल/अपर ग्राउण्ड फ्लोर/लोवर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। वाणिज्यिक सम्पत्ति, बेसमेन्ट या प्रथम तल पर स्थित होने पर सम्पूर्ण मूल्यांकन का 90 प्रतिशत एवं द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर स्थित होने पर सम्पूर्ण मूल्यांकन के 80 प्रतिशत और उससे अधिक तल पर स्थित होने की दशा में सम्पूर्ण मूल्यांकन के 70 प्रतिशत से आगणन किया जायेगा। परन्तु उक्त छूट वातानुकूलित दुकान/शॉपिंग कान्पलेक्स/मॉल/मल्टीप्लेक्स आदि वाणिज्यिक अधिष्ठानों पर अनुमन्य नहीं होगी।


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

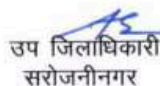
6. एकल व एकल से भिन्न वाणिज्यिक अधिष्ठान/प्रतिष्ठान के परिसर का निकास मुख्य मार्ग अथवा उसकी सर्विस लेन पर होने पर उसकी समस्त युनिटों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जायेगा।
7. होटल/नर्सिंगहोम/गेस्ट हाउस/मैरिज लॉन/ढाबा/सिनेमा हॉल के विक्रय की स्थिति में तदस्थान हेतु निर्धारित अकृषक भूमि की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी व निर्माण की दरें निम्नवत् होगी:-

आर0सी0सी0	आर0बी0सी0	टीन शेड/ एस्बेसटस शेड व अन्य
20000	18000	10000

8. यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक भूखण्ड क्रय कर रहा है और भूखण्ड का प्रकार भी व्यावसायिक भूखण्ड के नाम से विलेख में इंगित कर रहा है या सरकारी /गैर सरकारी/प्राईवेट विभागों/संस्थाओं द्वारा अनुमोदित ले आउट/मास्टर प्लान में स्थित व्यावसायिक/वाणिज्यिक भूमि का अन्तरण किया जाता है, तो उक्त भूमि का मूल्यांकन निर्धारित अकृषक दर से 50 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा।



उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम



उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ



जिलाधिकारी
लखनऊ

भाग-3
प्रारूप-5क

क- तीन मंजिला तक गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें-

क्रम संख्या	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिवर्षता आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दरें कवर्ड एरिया के अनुसार रू० प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दरें कवर्ड एरिया के अनुसार रू० प्रति वर्गमीटर
1	आर०सी०सी	80 वर्ष	18,000	15,000
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	12,000	10,000
3	कड़ी, गर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	6,000	5,000
4	टिनशेड, एस्बेसटस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	4,500	4,000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	2,500	2,000

1. प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि उसमें दरवाजे/खिड़की में शीशम/सागौन/देवदार/कम्प्रेस्ड वाटर प्रूफ बोर्ड/मेटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मार्बल/स्टोन/विट्रीफाइड टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।
2. द्वितीय श्रेणी के निर्माण का तात्पर्य यह है जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।
3. गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निम्नांकित तरीके से निकाला जा सकेगा-

भवन का कुल मूल्य = भवन में निहित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के भाग 2 प्रारूप 2, 3 या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य


उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

4. आवासीय भवनों/गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के मूल्यांकन में मूल्य छस महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० के परिपत्र संख्या 1979/शि०का०लख०/2002 दिनांक 19.09.2002 के अनुसार देय होगा।

भवन का छस मूल्य आगणन हेतु सूत्र:-

निर्माण का मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित दर

स्टाम्प देयता हेतु निर्माण का मूल्य = निर्माण का मूल्य-मूल्य छस

मूल्य छस = निर्माण का मूल्य × भवन की वास्तविक आयु × 9/भवन की कुल आयु × 10

नोट:- निर्माण का स्क्रेप मूल्य, निर्माण के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा भवन के निर्माण की तिथि से 20 वर्ष तक कोई मूल्य छस अनुमन्य नहीं होगा। निर्माण की तिथि की पुष्टि हेतु प्रामाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भवनों के निर्मित क्षेत्र के लिए तीन प्रतियों में पंजीकृत नक्शा नवीस के द्वारा आलेखित मानचित्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



उप निबन्धक
सरोजनीनगर प्रथम



उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
द्वितीय



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
प्रथम



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ



जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	अम्बेडकर नगर		002	खरिका
2	अवध नगर		002	खरिका
3	अवध विहार योजना		001	इब्राहिमपुर
4	अशरफ नगर		101	बिजनौर
5	अली नगर खुर्द		101	बिजनौर
6	अहमामऊ		111	लखनऊ
7	अरदौनामऊ		111	लखनऊ
8	ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ)		111	लखनऊ


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

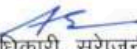


भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
9	ओमेक्स सिटी		003	राजा बिजली पासी
10	ओमेक्स मेट्रो सिटी		101	बिजनौर
11	औरंगाबाद जागीर		003	राजा बिजली पासी
12	औरंगाबाद खालसा		003	राजा बिजली पासी
13	इब्राहिमपुर (रेवतापुर)		001	इब्राहिमपुर
14	ईश्वरी खेड़ा		001	इब्राहिमपुर
15	उसरी		005	शारदा नगर
16	उत्तरठिया		001	इब्राहिमपुर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
17	एक्सला रिजाटिको		111	लखनऊ
18	एल्लिको		005	शारदा नगर
19	एल्लिको शौर्य		101	बिजनौर
20	एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स)		111	लखनऊ
21	कल्ली पश्चिम		101	बिजनौर
22	कान्ति निकेतन		101	बिजनौर
23	कृष्ण विहार कॉलोनी		001	इब्राहिमपुर
24	कुबेर की बगिया		002	खरिका


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
25	कुम्हार मन्डी		002	खरिका
26	किला मोहम्मदी		003	राजा बिजली पासी
27	खरिका		002	खरिका
28	गुडौरा		003	राजा बिजली पासी
29	गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8		111	लखनऊ
30	गांधी नगर		002	खरिका
31	घुसवल कलॉ		101	बिजनौर
32	घोसियाना		002	खरिका


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
33	चमरी भीम टोला		002	खरिका
34	चिरैया बाग		001	इब्राहिमपुर
35	छोहारा खेड़ा		003	राजा बिजली पासी
36	डिफेन्स कॉलोनी		001	इब्राहिमपुर
37	तेलीबाग		002	खरिका
38	तोदेखेड़ा		003	राजा बिजली पासी
39	देवामऊ		101	बिजनौर
40	देवीखेड़ा		005	शारदा नगर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
41	द्वारिकापुरी		002	खरिका
42	निजामपुर मझगवौ		101	बिजनौर
43	नेपाल गंज		002	खरिका
44	नटखेड़ा		002	खरिका
45	नई बंस्ती		001	इब्राहिमपुर
46	पाठक पुरम		001	इब्राहिमपुर
47	पिपरौली		005	शारदा नगर
48	फर्रुखाबाद चिल्लावां		010	हिन्द नगर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ

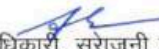


भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
49	फैन्डस कालोनी		101	बिजनौर
50	फिरंगी खेड़ा		005	शारदा नगर
51	बेहसा		003	राजा बिजली पासी
52	बरौली खलीलाबाद		101	इब्राहिमपुर
53	बरौना		101	बिजनौर
54	बलदेव बिहार		002	खरिका
55	बंगाली टोला		002	खरिका
56	ब्रज बिहार		002	खरिका


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
57	ब्राह्मण टोला		002	खरिका
58	बंगला बाजार		003	राजा बिजली पासी
59	बाबा की बगिया		002	खरिका
60	बंगला बाजार		005	शारदा नगर
61	बिजनौर		101	बिजनौर
62	भदरूख		005	शारदा नगर
63	भगवन्त नगर		001	इब्राहिमपुर
64	मलाक		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
65	मुराव खेड़ा		005	शारदा नगर
66	मुशी खेड़ा		003	राजा बिजली पासी
67	मुजफ्फरनगर घुसवल		101	बिजनौर
68	मस्ती खेड़ा		003	राजा बिजली पासी
69	मोहारी बाग		002	खरिका
70	मिर्जा पुर		003	राजा बिजली पासी
71	यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ		101	बिजनौर
72	रसूलपुर इटुरिया		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
73	रहीमाबाद		003	राजा बिजली पासी
74	राम टोला		002	खरिका
75	रायबरेली रोड योजना		005	शारदा नगर
76	रथीन्द्र नगर		002	खरिका
77	लौंगा खेड़ा		002	खरिका
78	लिलमथा		001	इब्राहिमपुर
79	वृन्दावन योजना		001	इब्राहिमपुर
80	शकूरपुर		001	इब्राहिमपुर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
81	शारदा कैनाल कालोनी		010	शारदा नगर
82	शारदा नगर		005	शारदा नगर
83	शारदा नगर योजना		005	शारदा नगर
84	शान्तिनगर		0207	राजा बिजली पासी
85	शीतलखेड़ा		005	शारदा नगर
86	शिव बिहार		002	खरिका
87	सरसवां/अर्जुनगंज		111	लखनऊ
88	सरस्वती पुरम		001	इब्राहिमपुर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
89	सरपोटगंज		005	शारदा नगर
90	सालेह नगर		005	शारदा नगर
91	सुशान्त सिटी (सेक्टर-ए से ई तक)		001	इब्राहिमपुर
92	सुशान्त सिटी (सेक्टर-एफ से आई तक)		001	इब्राहिमपुर
93	सुशान्त सिटी (सेक्टर-जे से एम तक)		001	इब्राहिमपुर
94	सुभानी खेड़ा		002	खरिका
95	सुभाष नगर		002	खरिका
96	सैवई		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(क) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

क्रम संख्या I	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4	5
97	सेनानी बिहार		002	खरिका
98	सैनिक नगर		002	खरिका
99	साउथ सिटी		005	शारदा नगर
100	हसनपुर खेवली		101	बिजनौर
101	हरिहरपुर		101	बिजनौर
102	हैबतमऊ मवैया		001	इब्राहिमपुर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(ख) अर्द्धनगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2		3	4
1	अहमदपुर उर्फ कमलापुर		101	बिजनौर
2	एल्डिको इम्पीरिया		101	बिजनौर
3	कल्ली पूरब		101	बिजनौर
4	खटोला		101	बिजनौर
5	चन्द्रावल		101	बिजनौर
6	नूरनगर भदरसा		101	बिजनौर
7	नीवां		101	बिजनौर
8	जैतीखेडा		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(ख) अर्द्धनगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2		3	4
9	धावापुर		101	बिजनौर
10	परवर पूरब		101	बिजनौर
11	परवर पश्चिम		101	बिजनौर
12	बीबीपुर		101	बिजनौर
13	भागूखेडा		101	बिजनौर
14	मखदूमपुर कैथी		101	बिजनौर
15	माती		101	बिजनौर
16	रतौली		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1 प्रारूप-1(ख) अर्द्धनगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम
1	2		3	4
17	बिरुरा		101	बिजनौर
18	शाहपुर मझगवां		101	बिजनौर
19	सरैयाँ		101	बिजनौर


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-1, प्रारूप-1ग-(ग्रामीण क्षेत्र)

रजिस्ट्रीकरण उप जिला लखनऊ, सरोजनी नगर, प्रथम जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम
1	2	3	4
1	मेमौरा	101	बिजनौर

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

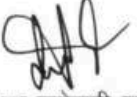
जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बेडकर नगर	002	खरिका	7000	26000	28000
2	अहमदपुर उर्फ कमलापुर	101	बिजनौर	6000	24000	26000
3	अवध नगर	002	खरिका	7500	26000	28000
4	अवध विहार योजना	001	इब्राहिमपुर	25000	30000	34000
5	अशरफ नगर	101	शारदा नगर	4500	24000	26000
6	अली नगर खुर्द	101	बिजनौर	4500	24000	26000
7	अहमामऊ	111	लखनऊ	12000	26000	28000
8	अरदौनामऊ	111	लखनऊ	12000	30000	34000
9	ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ)	111	लखनऊ	35000	30000	34000


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
10	ओमेक्स सिटी	003	राजा बिजली पासी	25000	30000	34000
11	ओमेक्स मेट्रो सिटी	101	बिजनौर	20000	30000	34000
12	औरंगाबाद जागीर	003	राजा बिजली पासी	12000	26000	28000
13	औरंगाबाद खालसा	003	राजा बिजली पासी	12000	26000	28000
14	इब्राहिमपुर (रेवतापुर)	001	इब्राहिमपुर	7000	26000	28000
15	ईश्वरी खेड़ा	001	इब्राहिमपुर	8000	26000	28000
16	उसरी	005	शारदा नगर	10000	26000	28000
17	उत्तरठिया	001	इब्राहिमपुर	8000	26000	28000
18	एल्डिको	005	शारदा नगर	25000	30000	34000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
19	एल्डिको इम्पीरिया	101	बिजनौर	22000	30000	34000
20	एल्डिको शौर्य	101	बिजनौर	20000	26000	28000
21	एम0आर0जी0एफ0 (गोमती ग्रीन्स)	111	लखनऊ	35000	30000	34000
22	एक्सला रिजाटिको	111	लखनऊ	22000	30000	34000
23	कल्ली पश्चिम	101	बिजनौर	10000	24000	26000
24	कल्ली पूरब	101	बिजनौर	3500	22000	24000
25	कृष्ण विहार कॉलोनी	001	इब्राहिमपुर	9000	26000	28000
26	कुबेर की बगिया	002	खरिका	8000	26000	28000
27	कुम्हार मन्डी	002	खरिका	8000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
28	कांती निकेतन	101	बिजनौर	20000	30000	34000
29	किला मोहम्मदी	003	राजा बिजली पासी	8000	26000	28000
30	खटोला	101	बिजनौर	2500	20000	22000
31	खरिका	002	खरिका	10000	30000	34000
32	गुडौरा	003	राजा बिजली पासी	5500	26000	28000
33	गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8	111	लखनऊ	35000	30000	34000
34	गांधी नगर	002	खरिका	10000	26000	28000
35	घुसवल कलॉ	101	बिजनौर	7000	24000	26000
36	घोसियाना	002	खरिका	8000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
37	चमरी भीम टोला	002	खरिका	7000	26000	28000
38	चिरैया बाग	001	इब्राहिमपुर	6000	26000	28000
39	चन्द्रावल	101	बिजनौर	6000	24000	26000
40	छोहारा खेड़ा	003	राजा बिजली पासी	7000	26000	28000
41	जैतीखेड़ा	101	बिजनौर	2500	20000	22000
42	डिफेन्स कॉलोनी	001	इब्राहिमपुर	6000	26000	28000
43	तेलीबाग	002	खरिका	10000	26000	28000
44	तोदेखेड़ा	003	राजा बिजली पासी	6000	26000	28000
45	देवामऊ	101	बिजनौर	7000	24000	26000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
46	देवीखेड़ा	005	शारदा नगर	10000	26000	28000
47	द्वारिकापुरी	002	खरिका	7000	26000	28000
48	धावापुर	101	बिजनौर	2500	20000	22000
49	निजामपुर मझगवाँ	101	बिजनौर	7000	24000	26000
50	नेपाल गंज	002	खरिका	8000	26000	28000
51	नटखेड़ा	002	खरिका	8000	26000	28000
52	नई बस्ती	001	इब्राहिमपुर	5500	26000	28000
53	नूरनगर भदरसा	101	बिजनौर	6000	24000	26000
54	नीवां	101	बिजनौर	2500	20000	22000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
55	परवर पूरब	101	बिजनौर	3500	22000	24000
56	परवर पश्चिम	101	बिजनौर	3500	22000	24000
57	पाठक पुरम	001	इब्राहिमपुर	9000	26000	28000
58	पिपरौली	005	शारदा नगर	10000	26000	28000
59	फ्रैंड्स कालोनी	101	इब्राहिमपुर	15000	24000	26000
60	फिरंगी खेड़ा	005	शारदा नगर	10000	26000	28000
61	फर्रुखाबाद चिल्लावां	010	राजा बिजली पासी	10000	26000	28000
62	बेहसा	003	राजा बिजली पासी	12000	26000	28000
63	बरौली खलीलाबाद	101	इब्राहिमपुर	8000	26000	28000


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
64	बरौना	101	बिजनौर	7000	24000	26000
65	बलदेव बिहार	002	खरिका	7000	26000	28000
66	बंगाली टोला	002	खरिका	7000	26000	28000
67	ब्रज बिहार	002	खरिका	7000	26000	28000
68	ब्राह्मण टोला	002	खरिका	7000	26000	28000
69	बंगला बाजार	003	राजा बिजली पासी	12000	26000	28000
70	बाबा की बगिया	002	खरिका	8000	26000	28000
71	बंगला बाजार	005	शारदा नगर	12000	26000	28000
72	बिजनौर	101	बिजनौर	8000	24000	26000


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
73	बिरुरा	101	इब्राहिमपुर	4000	24000	26000
74	बीबीपुर	101	बिजनौर	2500	20000	22000
75	भदरूख	005	शारदा नगर	13000	26000	28000
76	भगवन्त नगर	001	इब्राहिमपुर	5500	26000	28000
77	भागूखेड़ा	101	बिजनौर	2500	20000	22000
78	मलाक	101	इब्राहिमपुर	8000	22000	24000
79	मुराव खेड़ा	101	शारदा नगर	10000	26000	28000
80	मुशी खेड़ा	003	राजा बिजली पासी	6500	26000	28000
81	मुजफ्फरनगर घुसवल	101	बिजनौर	7000	24000	26000


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिमाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
82	मस्ती खेड़ा	003	राजा बिजली पासी	6500	26000	28000
83	मखदूमपुर कैथी	101	बिजनौर	2500	20000	22000
84	माती	101	बिजनौर	6500	24000	26000
85	मोहारी बाग	002	खरिका	7000	26000	28000
86	मेमौरा	101	बिजनौर	2500	20000	22000
87	मिर्जा पुर	003	राजा बिजली पासी	6500	26000	28000
88	यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ	101	बिजनौर	7000	24000	26000
89	रसूलपुर इंदुरिया	101	शारदा नगर	4000	24000	26000
90	रहीमाबाद	003	राजा बिजली पासी	7000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
91	राम टोला	002	खरिका	7000	26000	28000
92	रायबरेली रोड योजना	005	शारदा नगर	25000	26000	28000
93	रतौली	101	बिजनौर	2500	20000	22000
94	रथीन्द्र नगर	002	खरिका	10000	26000	28000
95	लौंगा खेड़ा	002	खरिका	7000	26000	28000
96	लिलमथा	001	इब्राहिमपुर	7000	26000	28000
97	वृन्दावन योजना	001	इब्राहिमपुर	28000	30000	34000
98	शकूरपुर	001	इब्राहिमपुर	7000	26000	28000
99	शारदा कैनाल कालोनी	010	शारदा नगर	13000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
100	शारदा नगर	005	शारदा नगर	25000	26000	28000
101	शारदा नगर योजना	005	शारदा नगर	25000	26000	28000
102	शान्तिनगर	0207	राजा बिजली पासी	7000	26000	28000
103	शाहपुर मझगवां	101	बिजनौर	2500	20000	22000
104	शीतलखेड़ा	005	शारदा नगर	5000	26000	28000
105	शिव बिहार	002	खरिका	7000	26000	28000
106	सरैयाँ	101	बिजनौर	2500	20000	22000
107	सरसवां/अर्जुनगंज	111	इब्राहिमपुर	12000	26000	28000
108	सरस्वती पुरम	001	इब्राहिमपुर	12000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
109	सरपोटगंज	005	शारदा नगर	12000	26000	28000
110	सालेह नगर	005	शारदा नगर	12000	26000	28000
111	सुशान्त सिटी (सेक्टर-ए से ई तक)	001	इब्राहिमपुर	35000	30000	34000
112	सुशान्त सिटी (सेक्टर-एफ से आई तक)	001	इब्राहिमपुर	25000	30000	34000
113	सुशान्त सिटी (सेक्टर-जे से एम तक)	001	इब्राहिमपुर	21000	30000	34000
114	सुभानी खेड़ा	002	खरिका	8000	26000	28000
115	सुभाष नगर	002	खरिका	8000	26000	28000
116	सेंवाई	101	बिजनौर	6500	24000	26000
117	सेनानी बिहार	002	खरिका	14000	26000	28000


उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 (प्रारूप-2) व भाग-3 (प्रारूप-5ख)

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र) वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वैल्यू) एवं कवर्ड एरिया की दरें।

क्रम संख्या	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)	कवर्ड एरिया की दर रु0 प्रति वर्गमीटर में।	
1	2	3	4	5	6	7
118	सैनिक नगर	002	खरिका	14000	26000	28000
119	साउथ सिटी	005	शारदा नगर	25000	26000	28000
120	हसनपुर खेवली	101	बिजनौर	7000	24000	26000
121	हरिहरपुर	101	इब्राहिमपुर	12000	30000	34000
122	हैबतमऊ मवैया	001	इब्राहिमपुर	10000	26000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रुपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रुपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहाँ से कहाँ तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहीद पथ पर गोमती नदी से सुल्तानपुर रोड होते हुए कानुपर रोड तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	55000		80000	75000	70000
2	शहीद पथ से एम्मार की ओर जाने वाली सड़क औरेंजे होते हुए ओमेक्स हजरतगंज तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	52000		80000	75000	70000
3	पी०एच०क्यू० गेट नं० 3 के सामने की सड़क एम०आर०एम०जी०एफ० ओमेक्स आर 1 होते हुए ओमेक्स हजरतगंज व ओमेक्स आर 2 मिनी ओमेक्स हजरतगंज होते हुए सड़क की अन्तिम सीमा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	52000		80000	75000	70000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रुपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रुपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहां से कहां तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
4	पलेशियो माल/इकाना के मध्य की सडक की अन्तिम सीमा तक व पलेशियो पुलिस चौकी /मरक्यूर होटल के मध्य की सडक गोल चौराहे तक तथा इन दोनों सडकों को जोडने वाली सडक के दोनो ओर स्थित राजस्व ग्राम/मोहल्ला	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	52000		75000	70000	65000
5	सुल्तानपुर रोड पर सरसवां/अर्जुनगंज से नगर निगम सीमा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	55000	270	65000	60000	55000
6	बेस्ट प्राइस से प्रारम्भ होकर कम्फर्ट होटल व अटल चौराहा होते हुए विन्टस से सुल्तानपुर रोड की ओर सडक की अन्तिम सीमा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	50000		80000	75000	70000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रुपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रुपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहां से कहां तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सुशान्त गोल्फ सिटी में अटल चौक से फववारा चौराहे तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	50000		80000	75000	70000
8	लूलू मॉल के पीछे वाली सडक प्लेटिनम व स्काई लाइन प्लाजा जाने वाली सडक आनन्द रिसॉट होते हुए सडक के अन्त तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	50000		80000	75000	70000
9	शहीद पथ से सुशान्त गोल्फ सिटी की ओर मिगसन के बायीं ओर सीधे जाने वाली सडक फववारा चौराहे तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	50000		80000	75000	70000
10	मेदान्ता हास्पिटल से लगी हुई मिगसन के बायीं ओर वाली सडक की अंतिम सीमा के तिराहे से कीनेसकीलम स्कूल व मेदान्ता गेट नं० 5,6 होते हुए गेट नं० 2 से होकर शहीद पथ तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	50000		80000	75000	70000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रुपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रुपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहां से कहां तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
11	शहीद पथ से लगी हुई लूलू मॉल व मेदान्ता हास्पिटल को जोड़ने वाली सड़क अवध शिल्पग्राम चौराहे तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	52000		80000	75000	70000
12	अवध शिल्प ग्राम चौराहे से अवध विहार की ओर जाने वाली सड़क की अन्तिम सीमा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000
13	नीलमथा अंडर पास से विजय नगर चौराहे तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000
14	पुलिस चौकी वृन्दावन पी०जी०आई० से आवास विकास गेस्ट हाउस सेक्टर 10 जाने वाली सड़क	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000
15	मातुल्य गुरुकुल से परशुराम चौक पर ओरनेट ग्लोरी होते हुए भारत पेट्रोल पम्प तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रूपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रूपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहां से कहां तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रू० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रू० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
16	मामा चौराहे से उत्तरेठिया स्टेशन तक (वृन्दावन योजना में)	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000
17	तेलीबाग चौराहा शनि मन्दिर से आवास विकास कार्यालय होते हुए कालिन्दी पार्क होते हुए रायबरेली रोड तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		50000	45000	40000
18	रायबरेली रोड (सुभानी खेडा से सरोजनी नगर तहसील की नगर निगम की सीमा तक)	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000	160	55000	50000	45000
19	रायबरेली रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाली सड़क की अन्तिम सीमा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		55000	50000	45000
20	किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के अन्दर)	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	20000	190	45000	40000	35000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेन्ट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रूपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रूपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेन्ट का नाम कहाँ से कहाँ तक	सेगमेन्ट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
21	किसान पथ/आउटर रिंग रोड पर (नगर निगम की सीमा के बाहर)	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	15000	150	35000	32000	30000
22	भागू खेडा चौराहा से किसान पथ तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	15000		40000	35000	30000
23	बंगला बाजारा पुल (बिजनौर रोड) से शहीद पथ अण्डरपास होते हुए एवं मैपल पैराडाइज होते हुए सी०आर०पी०एफ० चौराहा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		45000	40000	35000
24	बिजनौर रोड (सी०आर०पी०एफ० चौराहा) से बन्धरा थाना तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	15000	145	40000	35000	30000
25	पिकैडली होटल चौराहे से प्रियम प्लाजा होते हुए परिकल्प भवन तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		65000	55000	50000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप-3

उप जिला लखनऊ सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ के अधीन नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की न्यूनतम दरें रूपया प्रति वर्गमीटर में तथा कृषि भूमि की दरे लाख रूपये प्रति हेक्टेअर में व व्यवसायिक एकल से भिन्न अकृषिक कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमीटर में।

क्रम संख्या	रोड सेगमेंट का नाम कहाँ से कहाँ तक	सेगमेंट रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें रु० प्रतिवर्ग मीटर में।	कृषिक भूमि की दरें लाख रु० प्रति हेक्टेअर में।	एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति की कार्पेट क्षेत्रफल की दरें वर्गमी० में		
					दुकान	कार्यालय	गोदाम
1	2	3	4	5	6	7	8
26	चुंगी तिराहे से पराग डेरी होते हुए नगर निगम कार्यालय बिजनौर तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	40000		65000	55000	45000
27	कानपुर रोड स्थित जुनाबगंज चौराहे से प्रयागराज-मोहनलालगंज रोड पर भागूखेडा चौराहे तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	15000	50	40000	35000	30000
28	स्कूटर इंडिया चौराहे से बिजनौर चौराहा तक	उक्त रोड पर पड़ने वाले समस्त राजस्व ग्राम/मोहल्ले	15000	190	45000	40000	35000

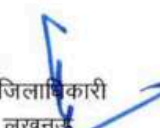

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ


उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ


जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अम्बेडकर नगर	7500	8500	9500					40000	33000	30000
2	अहमदपुर उर्फ कमलापुर	6500	7500	8000	155	145	155	110	30000	28000	27000
3	अवध नगर	8500	9000	10000					40000	35000	30000
4	अवध विहार योजना	28000	31000	34000					49000	38000	35000
5	अशरफ नगर	5000	5500	6000	105	95	105	75	30000	28000	27000
6	अली नगर खुर्द	5000	5500	6000	105	95	105	75	30000	28000	27000
7	अहमामऊ	13000	14000	15000	215	200	215	155	38000	35000	30000
8	अरदौनामऊ	13000	14000	15000	175	160	175	125	48000	40000	35000
9	ओमेक्स (अहमामऊ, सरसवां, अरदौनामऊ)	39000	43000	47000					75000	70000	65000
10	ओमेक्स सिटी	28000	31000	34000					50000	40000	35000
11	ओमेक्स मेट्रो सिटी	22000	24000	26000					50000	40000	35000
12	औरंगाबाद जागीर	13000	14000	15000	375	345	370	265	48000	40000	33000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रूपयें में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	औरंगाबाद खालसा	13000	14000	15000	375	345	370	265	48000	40000	33000
14	इब्राहिमपुर (रेवतापुर)	7500	8500	9500					40000	35000	30000
15	ईश्वरी खेड़ा	9000	10000	11000					40000	35000	30000
16	उसरी	11000	12000	13000					40000	35000	30000
17	उत्तरठिया	9000	10000	11000					40000	35000	30000
18	एल्लिको	28000	31000	34000					50000	45000	40000
19	एल्लिको इम्पीरिया	24000	26000	28000					50000	40000	35000
20	एल्लिको शौर्य	22000	24000	26000					40000	35000	30000
21	एम०आर०जी०एफ० (गोमती ग्रीन्स)	39000	43000	47000					75000	70000	65000
22	एक्सला रिजाटिको	24000	26000	28000					50000	40000	35000
23	कल्ली पश्चिम	11000	12000	13000	180	170	180	130	40000	35000	30000
24	कल्ली पूरब	4000	4500	5000	85	80	85	60	35000	30000	25000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	कृष्ण विहार कॉलोनी	10000	11000	12000					40000	35000	30000
26	कुबेर की बगिया	9000	10000	11000					40000	35000	30000
27	कुम्हार मन्डी	9000	10000	11000					40000	35000	30000
28	कांति निकेतन	22000	24000	26000					50000	40000	35000
29	किला मोहम्मदी	9000	10000	11000					40000	35000	30000
30	खटोला	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
31	खरिका	11000	12000	13000					45000	40000	35000
32	गुडौरा	6500	7000	7500	440	394	440	315	40000	35000	30000
33	गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 एवं 8	39000	43000	47000					60000	55000	50000
34	गांधी नगर	11000	12000	13000					40000	33000	30000
35	घुसवल कलौं	7500	8500	9500	155	145	155	110	40000	35000	30000
36	घोसियाना	9000	10000	11000					40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रूपयें में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	चमरी भीम टोला	8000	8500	9500					40000	35000	30000
38	चिरैया बाग	6500	7500	8000					40000	35000	30000
39	चन्द्रावल	6500	7500	8000	155	145	155	110	35000	30000	27000
40	छोहारा खेड़ा	8000	9000	10000	450	410	440	315	40000	35000	30000
41	जैतीखेड़ा	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
42	डिफेन्स कॉलोनी	7000	7500	8000					40000	35000	30000
43	तेलीबाग	11000	12000	13000					40000	35000	30000
44	तोदेखेड़ा	6500	7500	8000					40000	35000	30000
45	देवामऊ	7500	8500	9500	105	95	105	75	40000	35000	30000
46	देवीखेड़ा	11000	12000	13000					40000	35000	30000
47	द्वारिकापुरी	7500	8500	9500					40000	35000	30000
48	धावापुर	3000	3500	4000	50	45	50	35	35000	30000	25000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रूपयें में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	निजामपुर मझगवॉ	7500	8500	9500	105	95	105	75	40000	35000	30000
50	नेपाल गंज	9000	10000	11000					40000	35000	30000
51	नटखेड़ा	9000	10000	11000					40000	35000	30000
52	नई बस्ती	6000	7000	7500					40000	35000	30000
53	नूरनगर भदरसा	7000	8000	9000	155	145	155	110	35000	30000	27000
54	नीवां	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
55	परवर पूरब	4000	4500	5000	85	80	85	60	35000	30000	27000
56	परवर पश्चिम	4000	4500	5000	85	80	85	60	35000	30000	27000
57	पाठक पुरम	10000	11000	12000					40000	35000	30000
58	पिपरौली	11000	12000	13000					40000	35000	30000
59	फैन्डस कालोनी	17000	19000	21000					40000	35000	30000
60	फिरंगी खेड़ा	11000	12000	13000	105	95	105	75	40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रूपयें में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	फर्रुखाबाद विल्लावां	11000	12000	13000	370	330	370	265	40000	35000	30000
62	बेहसा	13000	14000	15000	440	394	440	315	40000	35000	30000
63	बरौली खलीलाबाद	9000	10000	11000	485	450	485	348	40000	35000	30000
64	बरौना	7500	8500	9500	105	95	105	75	40000	35000	30000
65	बलदेव बिहार	7500	8500	9500					40000	35000	30000
66	बंगाली टोला	7500	8500	9500					40000	35000	30000
67	ब्रज बिहार	7500	8500	9500					40000	35000	30000
68	ब्राह्मण टोला	7500	8500	9500					40000	35000	30000
69	बंगला बाजार	13000	14000	15000					40000	35000	30000
70	बाबा की बगिया	9000	10000	11000					40000	35000	30000
71	बंगला बाजार	13000	14000	15000					40000	35000	30000
72	बिजनौर	9000	10000	11000	180	170	180	130	40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपयें में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	बिरुरा	4500	5000	5500	105	95	105	75	40000	35000	30000
74	बीबीपुर	3000	3500	4000	180	170	180	130	30000	25000	23000
75	भदरूख	14000	15000	16000					40000	35000	30000
76	भगवन्त नगर	6000	7000	7500					40000	35000	30000
77	भागूखेडा	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
78	मलाक	9000	10000	11000	180	170	180	130	35000	30000	25000
79	मुराव खेड़ा	11000	12000	13000					40000	35000	30000
80	मुशी खेड़ा	7500	8500	9000					40000	35000	30000
81	मुजफ्फरनगर घुसवल	7500	8500	9500	155	145	155	110	40000	35000	30000
82	मरती खेड़ा	7500	8500	9000					40000	35000	30000
83	मखदूमपुर कैथी	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
84	माती	7000	8000	9000	155	145	155	110	35000	30000	28000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	मोहारी बाग	7500	8500	9500					40000	35000	30000
86	मेमौरा	3000	3500	4000	50	45	50	35	30000	25000	23000
87	मिर्जा पुर	7000	8000	9000	450	410	440	315	40000	35000	30000
88	यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ	7500	8500	9500	105	95	105	75	40000	35000	30000
89	रसूलपुर इदुरिया	4500	5000	5500	105	95	105	75	35000	30000	28000
90	रहीमाबाद	7500	8500	9500	440	394	440	315	40000	35000	30000
91	राम टोला	7500	8500	9500					40000	35000	30000
92	रायबरेली रोड योजना	28000	31000	34000					50000	40000	35000
93	रतौली	2500	3000	3500	50	45	50	35	30000	25000	23000
94	रथीन्द्र नगर	11000	12000	13000					40000	35000	30000
95	लौगा खेड़ा	7500	8500	9500					40000	35000	30000
96	लिलमथा	7500	8500	9500					40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	वृन्दावन योजना	31000	34000	37000					50000	45000	40000
98	शकूरपुर	7500	8500	9500					40000	35000	30000
99	शारदा कैनाल कालोनी	14000	15000	16000					40000	35000	30000
100	शारदा नगर	28000	31000	34000					50000	40000	35000
101	शारदा नगर योजना	28000	31000	34000					50000	40000	35000
102	शान्तिनगर	7500	8500	9500					40000	35000	30000
103	शाहपुर मझगवां	2500	3000	3500	50	45	50	35	35000	30000	25000
104	शीतलखेड़ा	5500	6500	7000					40000	35000	30000
105	शिव बिहार	7500	8500	9500					40000	35000	30000
106	सरैयाँ	2500	3000	3500	50	45	50	35	30000	25000	23000
107	सरसवां/अर्जुनगंज	13000	14000	15000	215	200	215	155	40000	35000	30000
108	सरस्वती पुरम	13000	14000	15000					40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	सरपोटगंज	13000	14000	15000					40000	35000	30000
110	सालेह नगर	13000	14000	15000					40000	35000	30000
111	सुशान्त सिटी (सेक्टर-ए से ई तक)	39000	43000	47000					75000	70000	65000
112	सुशान्त सिटी (सेक्टर-एफ से आई तक)	28000	31000	34000					70000	65000	60000
113	सुशान्त सिटी (सेक्टर-जे से एम तक)	23000	25000	28000					65000	60000	55000
114	सुभानी खेड़ा	9000	10000	11000					40000	35000	30000
115	सुभाष नगर	9000	10000	11000					40000	35000	30000
116	सेवई	7500	8000	8500	155	145	155	110	35000	30000	27000
117	सेनानी बिहार	15000	16000	17000					45000	40000	35000
118	सैनिक नगर	15000	16000	17000					40000	35000	30000
119	साउथ सिटी	28000	31000	34000					40000	35000	30000
120	हसनपुर खेवली	7500	8500	9500	155	145	155	110	40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ



भाग-2 प्रारूप -4

प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि की दरें प्रतिवर्गमीटर में तथा कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर में एवं एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें प्रतिवर्गमी० में। उप जिला सरोजनीनगर जिला लखनऊ के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में।

क्रम सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	अकृषिक भूमि की दरें वर्गमीटर में			राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि के दरें प्रति हेक्टेयर (लाख रुपये में)				एकल से भिन्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का फर्श (कार्पेट) क्षेत्रफल की दरें (प्रतिवर्गमी० में)		
		9 मी० या उससे अधिक 12 मी० तक चौड़े रास्ते पर	12 मी० से अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर	सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर		आबादी से सटा	सामान्य भूमि की दर	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
					जनपदीय मार्ग	सम्पर्क मार्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	हरिहरपुर	13000	14000	15000	180	170	180	130	45000	40000	35000
122	हैबतमऊ मवैया	11000	12000	13000					40000	35000	30000

उप निबन्धक सरोजनी नगर, प्रथम
लखनऊ

उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, द्वितीय
लखनऊ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रथम
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
लखनऊ

जिलाधिकारी
लखनऊ